(32)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल, म.प्र.
ग्वालियर, म.प्र.

निगरानी प्र.क्र. : /2016
प्रस्तुत दिनांक : 12.03.2018

PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2018/1733

1. ओंकार उम्र लगभग 75 वर्ष पिता शिवदास, निवासी ग्राम धुलकोट, कृषक ग्राम आसीरगढ, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, म.प्र. ----- निगरानीकर्ता/आवेदक

वि रू ध्द

1. सैय्यद हारून पिता सैय्यद अशरफ कृषक ग्राम आसीरगढ, निवासी सी.एस.पी. बंगले के पास, शनवारा, बुरहानपुर
2. सैय्यद फुरकान पिता सैय्यद हारून कृषक ग्राम आसीरगढ, निवासी सी.एस.पी. बंगले के पास, शनवारा, बुरहानपुर, म.प्र. ----- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 12.3.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3.4.18 नियत। ... रीडर ... राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के अंतर्गत आवेदक की ओर से

निगरानीकर्ता/आवेदक अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेपानगर के द्वारा बिना कोई सीमांकन का प्रकरण दर्ज किये बगैर दियें गये सीमांकन आदेश दिनांक 18.01.2018 एवं तदानुसार की गई सीमांकन कार्यवाही एवं प्रतिवेदन दिनांक 01.02.2018 को एवं तत्पश्चात अपंजीयत प्रकरण क्रमांक अ/70 वर्ष 2017-18 म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 250 की कार्यवाही संचालित किये जाने के विरूध्द यह पुनरीक्षण याचिका विधि एवं तथ्यो के आधार पर उक्त संपूर्ण अवैध अनुचित एवं शुन्य कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

12/03/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2018/1733

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-11-2018	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा तथा श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषकगण उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	